

पूरी सूचना की उम्मीद

इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की कवायद स्वाभाविक ही थमने का नाम नहीं ले रही है और सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता लगातार रंग ला रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक को यह कहते हुए फटकार लगाई है कि वह चयनात्मक नहीं हो सकता है, मतलब वह चुन-चुनकर सूचनाएं नहीं जारी कर सकता। उसे बॉन्ड से जुड़ी हर सूचना जनहित में जारी करनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में एक-एक सूचना का सबके सामने आना तय है और इसके लिए न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया है। बॉन्ड के संबंध में सूचनाओं की जितनी बड़ी खेप सामने आ चुकी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी खेप का आना शेष है। बैंक जैसे ही बाकी सूचनाएं देगा, वैसे ही चुनाव आयोग उनको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा। दरअसल, अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट नंबर का खुलासा होना भी जरूरी है, इससे साफ तौर पर पता चलेगा कि बॉन्ड किसने खरीदा और उसका लाभ किसने लिया? देश के लिए यह जानना जरूरी है कि किस पार्टी की झोली में कुल कितना चंदा गया है और किसने दिया है?

सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को यहां तक कहा है कि आप अगले आदेश की प्रतीक्षा मत कीजिए, जो भी सूचनाएं हैं, सबको जारी कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि एसबीआई चुनिंदा सूचनाएं ही जारी कर रहा है, यह पहलू एसबीआई के लिए ठीक नहीं है, इसका उसके ग्राहकों के बीच बेहद प्रतिकूल संदेश जा रहा है। तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बेशक, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पारदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी साख बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वह प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के आदेश का अक्षरशः पालन करे। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत ही चुनावी चर्चे में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी और एसबीआई पर भरोसा किया गया था। अतः अब एसबीआई का दायित्व है कि वह इस भरोसे पर खरा उतरकर दिखाए। उसकी ओर से जब सारी सूचनाएं सामने आ जाएंगी, तब लोग यह परखने की स्थिति में होंगे कि अरबों के चंदा का लेन-देन कैसे सुलभ हुआ? राजनीतिक चंदा कतई अनैतिक नहीं है, पर उसमें पारदर्शिता का होना जरूरी है। बीत गए वे दिन, जब चंदा गोपनीय हुआ करते थे। चुनावों में काले धन का खूब प्रयोग हुआ करता था, पर आज के सूचना प्रधान दौर में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में होना ही चाहिए।

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक-एक सूचना का सबके सामने आना अब तय है और इसके लिए न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया है।

इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जहां एसबीआई कचहरे में है, वहीं राजनीतिक पार्टियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या राजनीतिक पार्टियां स्वयं आगे बढ़कर यह नहीं बता सकतीं कि उन्हें कब किसने कितना चंदा दिया? इधर, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, पर राज्यों में सत्तारूढ़ कुछ पार्टियों के जवाब हरान करने के लिए पर्याप्त हैं। कुछ पार्टियों की ओर से यह जवाब आया है कि उन्हें पता ही नहीं कौन चंदा दे गया? क्या ऐसे जवाब पर विश्वास कर लेना चाहिए? कायदा तो यही बोलता है कि राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए, पर ऐसी कोशिश को पार्टियां पहले खारिज कर चुकी हैं। शायद एक दिन आएगा, जब राजनीतिक पार्टियां स्वयं ही लोगों को पर्याप्त सूचनाएं मुहैया कराने लेंगीं और किसी भी नागरिक को सूचना के लिए अदालत जाने की नौबत नहीं आएगी।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले

19 मार्च, 1949

आन्तरिक सुरक्षा

देश के भीतर शांति और व्यवस्था को कायम रखना किसी भी सरकार का पहला काम होता है। इसके बिना देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। भारत सरकार का वह विभाग जो देश की शांति और व्यवस्था से ताल्लुक रखता है, सरदार पटेल के कुशल हाथों में है। इस विभाग ने जिस प्रकार कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए अपने दायित्व को निभाया है, उसके लिए उसकी तारीफ ही करनी होगी। यही कारण है कि जब हिन्दू की पार्लियामेंट में इस विभाग की खर्च की मांग मंजुरी के लिए पेश की गई तो अन्य मंत्रियों की तुलना में सरदार पटेल को बहुत कम आलोचना का सामना करना पड़ा। अवश्य ही पं. हदयनाथ कुंजरू ने दो कटौती के प्रस्ताव पेश किये थे, उनमें से एक उन्होंने स्वयं वापस ले लिया और दूसरा पार्लियामेंट ने अस्वीकार कर दिया। पं. कुंजरू की शिकायत थी कि सरकार ने कम्यूनिस्ट पार्टी को उसकी तोड़-फोड़ और हिंसा की नीति के बावजूद गैर-कानूनी कयार नहीं दिया। सरदार पटेल का इस बारे में यही उत्तर था कि सरकार फिलहाल उन कम्यूनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करना काफी समझती है जो गैर-कानूनी प्रवृत्ति में हिस्सा लेते पाये जाते हैं। किंतु जब कभी आवश्यक प्रतीत होगा तो वह कम्यूनिस्ट पार्टी के विरुद्ध कदम उठाने में भी संकोच न करेगी। पं. कुंजरू की दूसरी शिकायत प्रान्तीय रक्षा दलों के सम्बन्ध में थी। उनका खयाल है कि जब प्रान्तों में पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है तो प्रान्तीय रक्षा दलों जैसे अर्द्ध सैनिक संगठनों पर क्या नियंत्रक व्यवस्था जा रहा है? प्रान्तीय रक्षा दलों का उद्देश्य अच्छा है। यदि संगठन में खराबी पैदा हो गई है तो वह ध्यान दिलाये जाने पर दूर की जा सकती है।

देश की शांति और व्यवस्था के लिए साम्प्रदायिक शक्तियों की ओर से खतरा पैदा किया गया और भारत सरकार के गृह सचिवालय ने उस खतरे का दृढ़ता किंतु विवेक के साथ सामना किया है। जब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरित की थी, उस समय विभाजन के कारण देश का साम्प्रदायिक वातावरण अत्यन्त शुध्द था और कुछ हिस्सों में जो दंगे-फसाद हुए, वे सरकार को खुली चुनौती थी कि नए सरकार ने साम्प्रदायिक ताकतों पर कानूनी पाया और आज सरदार पटेल यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि देश की आन्तरिक शांति को कोई गंभीर खतरा नहीं रह गया है।



राय की राय



यहां खबर करें


विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

सो लह मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के साथ ही, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र (नब्बे करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले) में संघर्ष की रणभेरी बज उठी है। 4 जून की देररात तक या उसके भी बाद, जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाएगी, यह संघर्ष पूरी शिदत के साथ चलता रहेगा। इसमें रहस्य, रोमांच, उत्सुकता और आशा-निराशा का द्रढ़ तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक 5.43 सीटों के लिए लड़ने वाले उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला नहीं हो जाता।

अपनी भौगोलिक, भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं के चलते भारतीय चुनाव दुनिया भर के पर्यवेक्षकों के लिए हमेशा उत्सुकता के विषय रहे हैं। खास तौर से पश्चिम के राजनीतिक पंडित तो शुरू से ही भारत में चुनावों की सफलता और निष्पक्षता को लेकर सशर्का रहे हैं। ब्रिटिश राजनेता चर्चिल शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी सरकारें चुनने को लेकर भारतीय क्षमता के प्रति इतना आशंकित था कि वह मानता था कि अंग्रेजों के जाते ही यहां खून की बारिशें होंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देश के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने पहला आम चुनाव जल्दी कराने की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिद पूरा करने के रस्ते में जिन बाधाओं का जिक्र किया था, उनमें से एक बाधा का उल्लेख ही उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ी समस्याओं को समझने में मददगार होगा।

चुनाव के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग की समझ तब गड़बड़ गई, जब उन्होंने पाया कि एक क्षेत्र में कई सी महिलाओं ने अपने पति का एक ही नाम लिखवाया था। इसके पीछे शिक्षा के अभाव के साथ-साथ वह सामाजिक परंपरा भी थी, जिसके तहत महिलाएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थीं। एक ने पति का नाम पछुने पर किसी प्राकृतिक अवयव की तरफ इशारा किया और फिर

देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव पुलिस व दूसरे सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए थका देने वाली प्रक्रिया के साथ उनकी साख के लिए गंभीर चुनौती की तरह आते हैं।



बाद में आने वाली सभी सभों सिर्फ 'वही' के इशारे में सिर हिलाती गईं। दुर्गम भौगोलिक इलाकों वाले इतने विशाल देश में मतदान केंद्रों तक चुनाव कर्मियों को अपने साजो-सामान के साथ पहुंचाना, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना और फिर चुनाव समाप्त करा कर उन्हें वापस मुख्यालय लाना कितनी कठिन परीक्षा रही होगी, इसका तो आज अंदाज ही लगाया जा सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि सतरह लोकसभाएं इस प्रक्रिया से चुनी गई हैं और यह भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि हर चुनाव के बाद उत्तरांचल हिंसा की घटनाएं कम होती गईं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो आम तौर से चुनावी नतीजों को सभी पक्षों ने स्वीकार भी किया है।

आठ दशकों में पसरे इस चुनावी सफर की कोई भी कहानी अधूरी ही रह जाएगी, यदि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख न किया जाए। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को चुनकर नेहरू जी लाए थे और अपनी सूझबूझ, मेहनत के बल पर उन्होंने एक ऐसी नींव

डाली, जिसके बल पर वषों तक यह संस्था काम करती रही। स्वातंत्र्योत्तर भारत के शुरूआती दो दशक स्वपजीवी आदर्शों के दशक थे, पर साठोत्तरी भारत की कहानी सपनों से मोहभंग की कहानी है और इसके बहुत से असरगत में से एक जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के रूप में दिखता है। चुनाव भी क्रमशः बाहुबल और धनबल का खेल होते चले गए। इनके लिए बदलते मूल्यों के साथ अक्षम और निष्क्रिय चुनाव आयोग मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा। आयोग आमतौर से सत्ताधारी दलों की धांधलियों पर अपनी आंखें मूंद लेता था।

निराशा के इस घटाटोप में अचानक एक ऐसे देवदूत का मंच पर प्रवेश हुआ, जो नीकरशाही में अपने प्रदर्शन से बहुत प्रभावित नहीं कर पाया था, पर एक सांविधानिक पद पर बैठते ही उसने एक मूलप्राय संस्था को प्रासंगिक बना दिया। वह व्यक्ति थे टीएन शेषन (1990-96)। बड़बोले, उतावले और अतिरेकी शेषन ने जो जबरदस्त सुधार चुनावी प्रक्रिया में किए, उनसे दूरगामी परिणाम निकले। यह कहना तो सरलीकरण होगा कि शेषन के

सुधारों के बाद चुनावों में बाहु और धन की भूमिका खत्म हो गई, पर यह जरूर हुआ कि खुलेआम बूथ लूटने और पैसा बांटने के बेशर्म दृश्य अब पहले जैसे नहीं दिखते। दलों के साथ सकारी पेशीनीरी में आयोग का भय भी बैठा, पर दुर्भाग्य से ये परिवर्तन व्यक्ति केंद्रित ही साबित हुए। तीन दशकों बाद धीरे-धीरे फिर चुनाव आयोग की भूमिका एक पक्षधर रेफरी की बनती जा रही है। यही कारण है कि शेषन और लिंगदोह जैसे आयुक्तों को छोड़ दें, तो शायद ही कोई जनता की स्मृति में बस पाया।

चुनाव पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए उबाऊ और थका देने वाली प्रक्रिया के साथ उनकी साख के लिए एक गंभीर चुनौती की तरह आते हैं। अब चुनाव कई महानों में फैले सात-आठ घण्टों में समाप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में जवान यात्राओं में बुरी तरह से थक जाते हैं और बाद के चरणों में उनके मनोबल और क्षमता पर इसका प्रतिकूल असर साफ दिखता है। मगर लंबी अवधि में फैले चुनावों का फायदा यह होता है कि मतदान केंद्रों पर अधिक बल उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण अब बूथ लूटने जैसी घटनाएं अतीत की चीज बन गई हैं। अब मतदाताओं को बूथ पर नहीं, वरन उनके गांवों, कस्बों या रास्तों में आतंकित किया जाता है। मुझे याद है कि एक जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में जब मैंने अपने करियर के पहले आम चुनाव में पुलिस प्रबंध किया था, तब मेरे जिले में सभी मतदान केंद्रों पर तैनाती के लिए एक-एक पुलिस कान्टेनर बल भी उपलब्ध नहीं था, उनकी कमी होमगार्डों और चौकीदारों से पूरी करनी पड़ी थी। आज स्थिति बहुत बदल चुकी है, आज अगर बूथ पर गड़बड़ी होती है, तो उसका साफ मतलब तंत्र की मिलीभगत ही अधिक है।

चुनावों के लिए जरूरी समता या समानता भरे मैदान का हमारे देश में सतरह लोकसभा चुनावों के बाद भी अभाव दिखता है। सत्ताधारी पार्टी दौड़ शुरू होने के पहले ही आगे खड़ी हो जाती है। चुनावी बॉन्ड की जानकारीयों या निर्वाचन आयोग के फैसलों से भी यह स्पष्ट है। इन सबके बावजूद इसे भारतीय मतदाता की प्रौढ़ता ही कहेंगे कि सारी गड़बड़ियों के बावजूद उसने अनेक बार सत्तारूढ़ पार्टियों को अपने मतदान के अधिकार से अपदस्थ किया है। आपातकाल के बाद का चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रूस में व्लादिमीर पुतिन की पांचवीं जीत के मायने

रूस के राष्ट्रपति-चुनाव में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन को जीत मिली है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। चुनाव के पहले से कयास यही थे कि उनको कोई खास प्रतिरोध नहीं मिलेगा। वैसे ही हुआ है। करीब 87 फीसदी मत-प्रतिशत हासिल करके पुतिन अगले छह साल के लिए फिर से क्रेमलिन में पहुंच गए हैं। दिसंबर, 1999 के बाद से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में रूसी सत्ता के केंद्र में रहने वाले पुतिन इस बार कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरे हैं। स्थिति यह है कि यूक्रेनी दावा वाले इलाकों में, जहां पर रूसी आबादी अधिक है, वहां भी चुनाव में उन्हें जीत मिली है।


यह चुनाव बताता है कि यूक्रेन युद्ध पर रूसी मतदाता पुतिन की नीति को सही मान रहे हैं। यह युद्ध चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। यही कारण है कि चुनाव की पूर्व-संस्था पर लोगों को संवोधित करते हुए पुतिन ने यह उम्मीद जताई थी कि लोग उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समर्थन और चुनौतियों से परा पायेंगे

के लिए कहीं अधिक एकजुट और आत्मविश्वासी बनकर उनके पक्ष में मत डालेंगे। अब जबकि चुनाव का परिणाम आ गया है, तो हो सकता है कि वह अपने कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बदल दें, ताकि युद्ध को आखिरी चरण में ले जाया जा सके। बेशक, चुनाव जीतने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने तीसरे महायुद्ध की आशंका जताई है, लेकिन कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक वह इस ज्वाला को शायद ही तेज करेंगे। रूस के लिए अमेरिकी चुनाव कितना अहम होता है, इसका एहसास इसी से कर सकते हैं कि पहले के अमेरिकी चुनाव में मारस्को के हस्तक्षेप के आरोप उछले थे। हालांकि, इस बार पुतिन ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों में उनकी कोई रुचि नहीं। फिर भी, माना यही जाना चाहिए कि अमेरिका की दशा-दिशा देखने के बाद ही रूस अगला कोई बड़ा कदम उठाएगा। हाँ, इस बीच पुतिन ऐसी नीति जरूर अपना सकते हैं कि यदि यूक्रेन आगे बढ़ता है, तो रूस अधिक आक्रामक होकर जवाब दे सके।

पुतिन की सरपस्ती में रूस ने खुद को कितना बदला है, इसके लिए हमें आपको पिछली सदी के आखिरी दशक में ले चलना हूँ। मैं उन दिनों सेंट पीटर्सबर्ग में था। तब तक यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ गया था, और एक तरह से वह खुद को तीसरा ध्रुव बनाने की कोशिशों में



राय की राय



यहां खबर करें

शाशांक | पूर्व विदेश सचिव

जुट हुआ था। उधर, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस दूसरे ध्रुव के रूप में अपनी दावेदारी जगज्जुत कर रहा था। उसकी मंशा यूरोपीय देशों के साथ संस्थानत रूप से जुड़ने की थी। यह वही दौर था, जब व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार रूस की सत्ता संभाली थी। पुतिन की ताजपोशी के बाद रूस की नीति में एक बड़ा बदलाव यह आया कि उसने पूर्व और पश्चिम, दोनों को देखना शुरू किया। इसका उसे फायदा भी मिला है। हालांकि, अब उसके लिए बीच का यह रास्ता करीब-करीब बंद हो चुका है। रूस भले आज भी यूरोपीय देशों को गैस बेच रहा है, पर यूक्रेन संकट के कारण उसकी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और पश्चिमी यूरोप की भी उस पर निर्भरता कम हुई है। पुतिन को अपने नए कार्यकाल में इस चुनौती से भी पार पाना होगा।

वैसे, भारत भी रूस के लिए काफी अहमियत रखता है। हमने यह देखा है कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के नेताओं से बातचीत करके हमारे प्रधानमंत्री ने शांति बनाने का प्रयास किया था। हालांकि, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया से मारस्को के रिश्ते बेहतर बन रहे हैं, लेकिन ये ऐसे देश हैं, जो खुद प्रतिबंधित होते रहे हैं। ऐसे में, भारत चाहें तो रूस से अपने आर्थिक संबंध बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास में उसकी मदद ले सकता है। इसके लिए हमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके तहत रेलमार्ग, समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों का विकास करना अनिवार्य है। इनशयल-हमास युद्ध के कारण इसमें कुछ सुस्ती आई है, लेकिन लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमें अपने रस्ते तैयार करने ही होंगे। हमें अपने हितों को तबज्जो देते हुए कूटनीतिक पहल करनी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा मन का मौन जरूरी

यदि हम कुछ भी समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे मन को शांत होना चाहिए, जबकि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, तो हम उसकी चिंता में डूब जाते हैं, है न? हम उसकी छान-बीन करने लगते हैं, उसके विश्लेषण में जुट जाते हैं, उसकी ऐसी-तैसी कर डालते हैं, और यह सब इस उम्मीद से कि हम उसको समझ पाएंगे। मगर क्या किसी मानसिक उठा-पटक के जरिये हम कुछ समझ पाते हैं? निश्चय ही, समझ तभी आती है, जब मन बिल्कुल खामोश होता है।

कहा जाता है, हम जितना अधिक भूख या युद्ध के प्रश्न से अथवा किसी भी मानवीय समस्या से जूझेंगे, उतना ही अधिक उसको समझ पाएंगे। क्या यह सच है? शताब्दियों से युद्ध हो रहे हैं, व्यक्तियों के बीच, समाजों के बीच द्वंद बना हुआ है; आंतरिक और बाहरी जंग जारी है। क्या उस युद्ध का, उस द्वंद का निपटारा हम और अधिक द्वंद या संघर्ष से, किसी चालाकी भरे प्रयत्न से कर सकते हैं? हम समस्या को केवल तभी समझ पाते हैं, जब उसके सामने होते हैं, जब हम तथ्य का सामना कर रहे होते हैं और किसी तथ्य का सामना हम तभी कर पाते हैं, जब मन और तथ्य के बीच बाधा उत्पन्न करने वाला कोई विश्कोष नहीं होता; अतः यदि हम समझना चाहते हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं कि मन मौन हो?

आप कहते हैं, मेरा मन शुध्द है, इसे कैसे शांत रखूं? क्या कोई पद्धति मन को शांत कर सकती है? क्या कोई अनुशासन इसको मौन कर सकता है? ऐसा किया जा सकता है; परंतु जब इस प्रकार मन को शांत बना दिया जाएगा, तो क्या वह मौन होगा, क्या निश्चलता होगी? या वह मन को किसी विचार, किसी सूत्र, किसी शब्दावली में जकड़ लेना होगा? ऐसा मन तो मृत मन

होगा। अधिकांश व्यक्ति, जो तथाकथित आध्यात्मिक होने का प्रयास करते हैं, मृतप्राय होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया होता है, शांत रहने के लिए उन्होंने अपने आप को किसी नुस्खे में कैद कर लिया होता है। स्पष्ट है, ऐसा मन कभी मौन नहीं होता, उसे केवल दमित कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है।

जब व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है कि समझ तभी संभव है, जब मन मौन हो; यानी यदि मैं आपको समझना चाहूँ, तो मुझे शांत होना होगा, मुझमें आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया न हो।

मन केवल तभी मौन होता है, जब वह इस सत्य को देख लेता है कि समझ तभी संभव है, जब मन मौन हो; यानी यदि मैं आपको समझना चाहूँ, तो मुझे शांत होना होगा, मुझमें आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया न हो, मैं पूर्वाग्रहों से मुक्त रहूँ, मुझे अपने समस्त निष्कर्षों, अनुभवों को हटाकर आपके समक्ष आना होगा। जब मन संस्काररस्रता से मुक्त होता है, केवल तभी मेरे लिए समझ पाना संभव होता है। जब मैं इस बात के सत्य को देख लेता हूँ, तभी मन मौन होता है, और तब यह प्रश्न नहीं उठता कि मन को शांत कैसे बनाया जाए? जे कृष्णमूर्ति



ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

आत्मनिर्मर महिलाएं आज समाज में बड़ा बदलाव ला रही हैं। देश को प्रगति के एक नए पथ पर ले जाने का सामर्थ्य भी इनमें खूब है। इनकी राह की सभी बाधाओं को दूर करना हमारा दायित्व है।

आमतौर पर आस्तिक ही ज्यादा भ्रमित

ऐसा नहीं है कि मैं बगैर जानने ईश्वर को काल्पनिक कहता हूँ। खूब अच्छी तरह जान-समझकर और जीवन का एक लंबा समय इस कल्पना पर बर्बाद करने के बाद कहता हूँ। निश्चित रूप से ईश्वर नामक धोखे की असलिखत जानता हूँ। यह मेरा अहंकार नहीं, बल्कि मेरे अनुभव का नतीजा है। 30 से भी अधिक वर्ष धर्मग्रंथों के अध्ययन में बिताकर मैं नास्तिक बना हूँ। मैंने आस्तिकों को कई बार देखा है कि वह ज्यादातर भ्रमित रहते हैं, और वे ईश्वर, जिसके लिए उनके ही धर्मग्रंथों में लिखा है कि 'परमात्मा बोधधाम्य नहीं है, मन-बुद्धि और इंद्रियों तथा तर्क से भी परे है', उसके अस्तित्व को भी तर्क द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यानी, अपने ही धर्मशास्त्रों की बात नहीं मानते! ठीक है, यदि आप ईश्वर को मानते हैं, तो मानते रहिए, लेकिन कुतकों द्वारा ईश्वर

के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में व्यर्थ ही किसी और का समय तो जाया मत करिए! सवाल कई हैं। क्या ईश्वर विश्वास करने योग्य है? क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, जिसे हमने कभी देखा नहीं? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर किसी का विश्वास मत करना, नहीं तो वे तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, तो आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं? आपके पास तो भगवान का नंबर भी नहीं है, संपर्क का कोई तरीका नहीं है। जब कुछ अप्रिय दुर्घटना जीवन में घट जाती है, तब लोग चिल्लाते हैं, मेरा भरोसा टूट गया, अब विश्वास उठ गया कि नए सरकार पर से! आखिर आपने किस आधार पर भगवान से यह अपेक्षा रखी? ईश्वर ने क्या कभी इसका वायदा किया



अनुलोम-विलोम आस्तिक बनाम नास्तिक

था? आस्तिक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि तर्क नहीं समझता, परंतु बचपन से ही उसके अचचेतन ही नहीं, बल्कि अर्द्धचेतन या अविकसित चेतन मन में भय और लालच से ओत-प्रोत जिस आस्था का निर्माण किया जाता है, उसके चलते वह कहता है, पंचों की बात सिर माथे, पर लेकिन खूंट यहीं गड़ेगा। वैसे आप यह न समझिएगा कि मैं यही किसी को नास्तिक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे लिए नास्तिकता एक अनुभव है, जो किसी दूसरे के कहने से नहीं, बल्कि तभी प्रत्यक्ष होता है, जब व्यक्ति स्वयं आस्तिकता के उस भ्रम और झूठ के आवरण से मुक्त होने के लिए सत्य संकल्पित हो, जो पैदा होने के समय से ही उसकी इच्छा के बिना उस पर मढ़कर, उसे हिंदू, मुसलमान इत्यादि बना दिया गया था।

बालेंदु गोस्वामी, टिप्पणीकार

आस्तिक का अर्थ है अटल विश्वास। नास्तिकों में इसी की कमी होती है। आपको दृष्टि में जो कुछ झूठ है, निराधार है, गलत है, फिर भी सामने वाला उस पर अटल विश्वास करता है, उस पर चलता है, निस्संदेह वही आस्तिक है।

वीपी सिंह सिसोदिया, टिप्पणीकार

एक अदृश्य सत्ता

जिस तरह, प्रकाश का अनुभव करते

नास्तिकों में अटल विश्वास की कमी

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकांश लोगों के लिए धर्म ईश्वर भीमांसा, पारलौकिक जीवन का विषय मात्र है, जबकि धर्म में न्याय, दंड, राजत्व, शक्ति संग्रहण, सामाजिक संहिता, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, सामुदायिक चेतना, लाभार्थ का विभाजन जैसे वे तमाम आयाम हैं, जो जीवन से जुड़े हैं। आस्तिक का अर्थ मात्र ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना नहीं, बल्कि आस्तिक का अर्थ है अटल विश्वास। नास्तिकों में इसी की कमी होती है। आपको दृष्टि में जो कुछ झूठ है, निराधार है, गलत है, फिर भी सामने वाला उस पर अटल विश्वास करता है, उस पर चलता है, निस्संदेह वही आस्तिक है।

वीपी सिंह सिसोदिया, टिप्पणीकार

एक अदृश्य सत्ता

जिस तरह, प्रकाश का अनुभव करते

नास्तिकों में अटल विश्वास की कमी

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकांश लोगों के लिए धर्म ईश्वर भीमांसा, पारलौकिक जीवन का विषय मात्र है, जबकि धर्म में न्याय, दंड, राजत्व, शक्ति संग्रहण, सामाजिक संहिता, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, सामुदायिक चेतना, लाभार्थ का विभाजन जैसे वे तमाम आयाम हैं, जो जीवन से जुड़े हैं। आस्तिक का अर्थ मात्र ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना नहीं, बल्कि आस्तिक का अर्थ है अटल विश्वास। नास्तिकों में इसी की कमी होती है। आपको दृष्टि में जो कुछ झूठ है, निराधार है, गलत है, फिर भी सामने वाला उस पर अटल विश्वास करता है, उस पर चलता है, निस्संदेह वही आस्तिक है।

वीपी सिंह सिसोदिया, टिप्पणीकार

एक अदृश्य सत्ता

जिस तरह, प्रकाश का अनुभव करते

